उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या-13/2024/812/94-स्टा0नि0-2-2024-500(97)/2008टी0सी0
लखनऊ, दिनांक : 27 जून, 2024

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 10, 74 और 75 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1-	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024 कही जायेगी। (2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
नियम 23 का संशोधन	2-	उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 में, नीचे **स्तम्भ-एक** में दिये गये नियम 23 के स्थान पर **स्तम्भ-दो** में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-एक	**स्तम्भ-दो**
विद्यमान नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
23- ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र का निर्गम- **(1)** अनुमोदित मध्यवर्ती के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा नियम 22 के अधीन प्राप्त धनराशि हेतु ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। **(2)** अनुमोदित मध्यवर्ती, जिसके द्वारा ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है, एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा, जिसमें प्रतिदिन उसके द्वारा जारी किये गये ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र का खाता रखा जायेगा तथा ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र	**23- ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र का निर्गम-** **(1)** अनुमोदित मध्यवर्ती के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा नियम 22 के अधीन प्राप्त धनराशि हेतु ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। **(2)** अनुमोदित मध्यवर्ती, जो ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र जारी कर रहा हो, उनके द्वारा अनुरक्षित किये जाने वाले रजिस्टर में, जारी किये गये ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों का दैनिक लेखा रखेगा यथास्थिति क्रेता या प्राधिकृत व्यक्ति, का हस्ताक्षर रजिस्टर के सुसंगत स्तम्भ पर करायेगा। **(3)** आयुक्त स्टाम्प, जनसाधारण हेतु, नियम 22 के अधीन प्राप्त धनराशि के सापेक्ष ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के स्व-मुद्रण की व्यवस्था करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

के क्रेता या प्राधिकृत व्यक्ति, जैसा भी हो, के हस्ताक्षर रजिस्टर के सुसंगत स्तम्भ पर करायेगा।	**(4)** उपरोल्लिखित उपनियम (3) के अधीन ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों का स्व-मुद्रण, आयुक्त स्टाम्प द्वारा विनिर्दिष्ट धनराशि की सीमा तक अनुज्ञेय होगा।

भवदीया,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या-13/2024/812(1)/94-स्टा0नि0-2-2024 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 27 जून, 2024 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

संख्या-13/2024/812(2)/94-स्टा0नि0-2-2024 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6- समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0 द्वारा महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
7- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उ0प्र0।
8- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0 द्वारा महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
9- विधायी अनुभाग-1
10- भाषा अनुभाग-5
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 13/2024/812/94-S.R.-2-2024-500(97)/2008TC dated 27 June, 2024

NOTIFICATION

No. 13/2024/812/94-S.R.-2-2024-500(97)/2008TC
Lucknow, Dated 27 June,2024

In exercise of the powers under sections 10, 74 and 75 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh E-Stamping Rules, 2013:-

THE UTTAR PRADESH E-STAMPING (FOURTH AMENDMENT) RULES, 2024

Short title and commencement

1- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh E-Stamping (Fourth Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 23

2- In the Uttar Pradesh E-Stamping Rules, 2013, for rule 23 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely

Column-I	Column-II
Existing rule	**Rule as hereby substituted**
23-**Issue of E-stamp certificate** **(1)** The Authorized official of Approved Intermediary shall issue E-stamp certificate for the amount received under rule 22. **(2)** The Approved Intermediary, who is issuing the E-Stamp certificate shall keep a daily account of issued E-stamp certificates in a Register to be maintained by them and take signature of the purchaser or the Authorized person, as the case maybe, on the relevant column of the Register.	23-**Issue of E-stamp certificate** **(1)** The Authorized official of Approved Intermediary shall issue E-stamp certificate for the amount received under rule 22. **(2)** The Approved Intermediary, who is issuing the E-Stamp certificate shall keep a daily account of issued E-stamp certificates in a Register to be maintained by them and take signature of the purchaser or the Authorized person, as the case maybe, on the relevant column of the Register. **(3)** The Commissioner of Stamp shall make arrangements for self printing of E-stamp certificate against the amount received under rule 22, for the general public. **(4)** Self Printing of E-stamp certificates under above mentioned sub-rule (3) shall be permissible, upto the limit of amount specified by the Commissioner of Stamp.

by order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in